राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक - प.1(6)न्याय/2019 जयपुर, दिनांक 22-10-19

-::अधिसूचना::-

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं.49) की धारा 4(2) सपठित धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार उदयपुर में जिला एवं सैशन न्यायाधीश स्तर का सैशन न्यायालय विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोगों की अन्वीक्षा (ट्रायल) करने हेतु विशिष्ठ न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) संख्या-2, उदयपुर सृजित एवं स्थापित करती है तथा इसके पीठासीन अधिकारी को उनके पदस्थापन की तारीख से, विशिष्ठ न्यायाधीश नियुक्त करती है। इस न्यायालय द्वारा उन्हीं प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी, जो समय-समय पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय को अन्तरित किये जायेगें।

राज्यपाल के आदेश से

22.10.19

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. **General/II/05/2017(S)/1541** **Dated: 31/10/2019**

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur.
2. Concerned District & Sessions Judge/s,
3. Concerned court/s,
4. concerned Chief Judicial/Metro. Magistrate/s,
5. A.O.J. Confidential/ RJS(Estt)/ SC (Estt)/ Budget/ Building/ Statistics/ computer cell (AOJ Computer cell with a direction to upload the same on High Court website).

31.10.19

REGISTRAR (RULES)